न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0--- 134 / 2015
प्रविष्टि दिनांक ---22.07.2015

उनवान

~~मृतक घाँसी पुत्र लक्ष्मना जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला~~
1/1. शिवजीलाल पुत्र घाँसी जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला
1/2. रामावतार पुत्र घाँसी जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला
~~1/3. मूली देवी पत्नि घाँसी जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला मृतक~~

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भूरालाल जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक
2. रामेश्वर पुत्र भूरालाल जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक
3. सुखपाल पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री पवन कुमार जैन, वादीगण

निर्णय
दावा बाबत बेदखली आराजियात राज0टि0एक्ट 1955 की धारा 183 के तहत वाद–पत्र

दिनांक :– 12/5/019

संक्षेप में वादपत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह वजीरपुरा तहसील टोंक व जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि/चाह में वादी का 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड में अंकित है। शेष हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नम्बर 3 का तथा हिस्सा 1/4 नारायण पुत्र चन्दा का है। नारायण पुत्र चन्द्रा का वर्षो पहले देहान्त हो चुका है। उसने लगभग 50 साल पहले अपना इस भूमि का हिस्सा 1/4 वादी से नकद प्रतिफल राशि लेकर बेच दिया था, नारायण वर्षो पहले गांव छोड़कर चला गया था। तब से ही वादी हिस्सा 3/4 का मालिक एवं काबिज हो गया था। इस भूमि/चाह खसरा नम्बर 344 रकबा 3 बिस्वा में पुख्ता चाह कुआं बना हुआ है जिसका वादी शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है, इस भूमि/चाह के अडवा खसरा नम्बर 343, 346, वादी की खातेदारी का है, तथा खसरा नम्बर 342 प्रति नम्बर 3 का है। इस चाह में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का कोई लेना देना नही है, उनका इस चाह व भूमि में कोई हिस्सा/हक नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का खेत खसरा नम्बर 345 है जो खसरा नम्बर 344 रकबा 3 बिस्वा है के अड़वा है, खसरा नम्बर 345 व 344 के बीच वर्षो से मेड पडी हुई थी। पहले प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का खसरा नम्बर 344 में बने हुए कुए व शेष रकबे में कोई हस्तक्षेप नही था परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने इस वर्ष आज से 15 दिन पहले खसरा नम्बर 344 व 345 के मध्य पडी हुई मेड को जबरन, नाजायज तरीका अपनाकर, खसरा नम्बर 345 में मिलाने की नियत से अतिक्रमण कर लिया, जबरन कब्जा कर लिया, जिसके क़ाबिज रहने

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज॰)

Scanned by CamScanner

का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि बेदखल करने योग्य है। अतः प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को खसरा नम्बर 344 रकबा 3 बिस्वा गेर मुमकिन चाह ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक राज0 में किये गये नाजायज अतिक्रमण से बेदखल किया जावे एवम् कब्जा वादी को सुपुर्द कराया जावे।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी ग्राम वजीरपुरा संवत 2070–73 खाता संख्या–25, 90, 152 व 151 पेश की हे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रतिपक्षीगण के बावजूद तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी।

हमने लायक वकील की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या–25, 90, 152, 151 में अंकित वादग्रस्त भूमि का वादी रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। इसलिए वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध एंव नाजायज है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की बैदखली आवश्यक है।

आदेश

अतः वाद वादी बाबत बैदखली आराजीयात स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आ0 ख.न. 344 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुरा, तहसील टोंक पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार टोंक वादग्रस्त भूमि पर से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्‌दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

~~मृतक-घाँसी पुत्र लछमना जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला~~

1/1. शिवजीलाल पुत्र घाँसी जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला

1/2. रामावतार पुत्र घाँसी जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला

~~1/3. मूली देवी पत्नि घाँसी जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला मृतक~~

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भूरालाल जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक
2. रामेश्वर पुत्र भूरालाल जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक
3. सुखपाल पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री पवन कुमार जैन, वादीगण

दावा–बाबत बैदखली आराजीयात

दावा नं0 134/2015

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्‌दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वाद वादी बाबत बैदखली आराजीयात स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आ0 ख. न. 344 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुरा, तहसील टोंक पर से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाता है। तहसीलदार टोंक वादग्रस्त भूमि पर से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/5/09 को जारी किया गया।

मोहर

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिंगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner